

कार्यालय नगर पालिका मण्डल श्रीमाधोपुर (सीकर) राज.

क्रमांक: नपाश्रीमा / 2023-24 / 17

दिनांक: ०५/०५/२०२३

एम्पावर्ड समिति बैठक कार्यवाही विवरण




आज दिनांक 04.04.2023 को प्रातः 11.00 बजे नगर पालिका श्रीमाधोपुर में आहूत एम्पावर्ड समिति के समक्ष निम्नानुसार 04

(चार) प्रकरण अनुमोदनार्थ एवं विचारार्थ रखा गया। जिसमें निम्नानुसार एम्पावर्ड समिति के सदस्यों की उपस्थिति रही :-

- | | | | |
|--|------------------|------------------------|------------|
| 1. श्रीमान अध्यक्ष नगर पालिका श्रीमाधोपुर | (हरिनारायण) | (अध्यक्ष) | उपस्थित। |
| 2. श्रीमान अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका श्रीमाधोपुर | (रजत जैन) | (सदस्य सचिव) | उपस्थित। |
| 3. श्रीमान उप / जिला नगर नियोजक, नगर नियोजन विभाग सीकर (मो. अजहर जादू) | (लोकेश निठारवाल) | (सदस्य) | उपस्थित। |
| 4. श्रीमान कनिष्ठ अभियन्ता नगर पालिका श्रीमाधोपुर | (रक्षपाल स्वामी) | (विशेष आमंत्रित सदस्य) | उपस्थित। |
| 5. श्रीमान विधि सलाहकार नगर पालिका श्रीमाधोपुर | (निरचल बनर्जी) | (विशेष आमंत्रित सदस्य) | अनुपस्थित। |
| 6. श्रीमान लेखा प्रभासी नगर पालिका श्रीमाधोपुर | | | |

उपस्थिति अनुसार कोरम पूर्ण होने पर श्रीमान अध्यक्ष महोदय द्वारा उक्त समिति की अध्यक्षता करते हुए अध्यक्ष महोदय की आज्ञा से समिति के समक्ष निम्न प्रकरण / एजेण्डा विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ रखे गये :-

1. श्री मोती लाल सेनी पुत्र श्री सेडूराम सैनी निवासी ढाणी पोलादास श्रीमाधोपुर (सीकर) द्वारा खसरा नं. 764/37 कुल खसरे 01 रकबा 0.6400 हैक्टर में से 0.2500 हैक्टर अर्थात् 2500 वर्गमीटर कृषि भूमि का गैर कृषिक संस्थानिक (सीनियर सैकेण्डरी स्कूल) प्रयोजनार्थ एकल पट्टा दिये जाने पर विचार / निर्णय :- अध्यक्ष महोदय की आज्ञा से सदस्य सचिव एवं अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका श्रीमाधोपुर द्वारा बताया गया कि श्री मोती लाल सेनी पुत्र श्री सेडूराम सैनी निवासी ढाणी पोलादास श्रीमाधोपुर (सीकर) द्वारा राजस्व ग्राम नागल भीम तहसील श्रीमाधोपुर में खसरा नं. 764/37 कुल खसरे 01 रकबा 0.6400 हैक्टर में से 0.2500 हैक्टर अर्थात् 2500 वर्गमीटर कृषि भूमि का गैर कृषिक संस्थानिक (सीनियर सैकेण्डरी स्कूल) प्रयोजनार्थ एकल पट्टा दिये जाने हेतु निर्धारित प्रारूप में दिनांक 11.01.2023 को आवेदन प्रस्तुत किया गया। जिस पर नियमानुसार 07 दिवस की आपत्ति आमंत्रण लोक सूचना राज्य स्तरीय दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित की गई। जिस पर निर्धारित समयावधि में / पश्चात कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई। नगर पालिका श्रीमाधोपुर के पत्रांक 6166 दिनांक 11.01.2023 के द्वारा श्रीमान तहसीलदार महोदय, श्रीमाधोपुर को आवेदित भूमि के संबंध में प्रारूप (6) में सहमति अथवा आक्षेप हेतु लिखा गया। जिसके संबंध में श्रीमान तहसीलदार महोदय, श्रीमाधोपुर के पत्रांक राजस्व / 2023 / 56 दिनांक 12.01.2023 के द्वारा कृषि भूमि के गैर कृषिक प्रयोजनार्थ उपयोग किये

जाने हेतु प्रारूप (6) में सहमति रिपोर्ट अनुसार आवेदित भूमि किसी निर्बंधित प्रवर्ग में नहीं है एवं किसी न्यायालय का कोई स्थगन आदेश आवेदित भूमि पर नहीं है। जिसके उपरान्त नगर पालिका श्रीमाधोपुर के पत्रांक 6429-33 दिनांक 20.01.2023 के द्वारा प्रारूप (11) में उपरोक्त भूमि के कृषि भूमि से गैर कृषिक प्रयोजनार्थ उपयोग हेतु 90(क) के आदेश जारी किये गये। उपरोक्त 90 (क) आदेश की पालना में श्रीमान तहसीलदार महोदय, श्रीमाधोपुर द्वारा उपरोक्त आवेदित भूमि का नागान्तरण राजस्व रिकार्ड में नगर पालिका श्रीमाधोपुर के नाम दर्ज कर दिया गया। जिसके उपरान्त नगर पालिका श्रीमाधोपुर के पत्रांक 6434 दिनांक 20.01.2023 के द्वारा श्रीमान उप/जिला नगर नियोजक, नगर नियोजन विभाग, सीकर को उपरोक्त आवेदित भूमि के कृषि भूमि से गैर कृषिक (सीनियर सैकेण्डरी स्कूल) प्रयोजनार्थ ले-आउट प्लान अनुमोदन एवं तकनिकी राय हेतु लिखा गया। जिसके संबंध में श्रीमान जिला नगर नियोजक, नगर नियोजन विभाग, सीकर के पत्रांक टीपीएसके /1600 / श्रीमाधोपुर / 2022 /1472 दिनांक 23.01.2023 के द्वारा पत्र में वर्णित शर्तों के अधिधीन कृषि भूमि से गैर कृषिक (सीनियर सैकेण्डरी स्कूल) प्रयोजनार्थ ले-आउट प्लान अनुमोदन हेतु स्थानीय स्तरीय ले-आउट प्लान अनुमोदन समिति के समक्ष अनुमोदन किये जाने के संबंध में तकनिकी राय प्रदान की गई। जिसकी पालना में आवेदक द्वारा उपरोक्त पत्र में वर्णित समर्पित की जाने वाली भूमि के संबंध में निःशुल्क समर्पणनामा एवं उपरोक्त पत्र में वर्णित शर्तों की पालना हेतु शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया। इसके अतिरिक्त अधिधक्ष महोदय, नगर पालिका श्रीमाधोपुर द्वारा उक्त समिति को अवगत करवाया गया कि उक्त ले-आउट के समबन्ध में गाननीय उच्च न्यायालय द्वारा जनहित याचिका संख्या 1554 /2004 (गुलाब कोठारी वनाग राज्य सरकार) के संबंध में दिये गये निर्देश दिनांक 12.01.2017, 08.08.2017, 14.10.2021, 15.12.2018 एवं राज्य सरकार द्वारा इस सन्दर्भ में समय-समय पर जारी अन्य आदेशों की पालना सुनिश्चित की जानी होगी।

अतः श्रीमान जिला नगर नियोजक, नगर नियोजन विभाग सीकर राजस्थान द्वारा दी गई तकनिकी राय एवं नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार के आदेश कमांक प.17 (1)नविवि/अभियान/2021 दिनांक 20.09.2021 के बिन्दू संख्या 2 (i) में दिये गये आदेशों की पालना में स्थानीय एम्पावर्ड समिति के उपस्थित सदस्यों द्वारा बाद विचार विमर्श आवेदक श्री मोती लाल सैनी पुत्र श्री सेडूराम को राजस्व ग्राम नागाल भीम तहसील श्रीमाधोपुर में खसरा नं. 764/37 कुल खसरे 01 रकबा 0.6400 हैक्टर मे से 0.2500 हैक्टर अर्थात 2500 वर्गमीटर कृषि भूमि का गैर कृषिक संस्थानिक (सीनियर सैकेण्डरी स्कूल) प्रयोजनार्थ एकल पट्टा नियमानुसार शुल्क जमा लिया जाकर दिये जाने हेतु निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया।

2. सेठ मोतीलाल मानपुरिया फौमिली ट्रस्ट जरिये श्री ज्ञानचन्द मानपुरिया पुत्र श्री साधुराम मानपुरिया द्वारा स्वयं के स्वाभित्त्व के आवेदित भूखण्ड का राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 69 (क) नियमन के अन्तर्गत आवासीय उपयोग पट्टा जारी किये जाने पर विचार /निर्णय:— अधिधक्ष महोदय की आज्ञा से सदस्य सचिव अधिशाषी अधिकारी द्वारा अवगत करवाया गया कि आवेदक सेठ मोतीलाल मानपुरिया फौमिली ट्रस्ट जरिये श्री ज्ञानचन्द मानपुरिया पुत्र श्री साधुराम मानपुरिया द्वारा स्वयं के स्वाभित्त्व के आवेदित भूखण्ड का राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 69 (क) नियमन के तहत आवासीय उपयोग


District Collector

Municipal Commissioner

Deputy Commissioner

हेतु पट्टा आवेदन निर्धारित प्रपत्र में दिनांक 28.12.2022 को प्रस्तुत किया गया। जिस पर नियमानुसार आपत्ति आमंत्रण सूचना का प्रकाशन आवेदक द्वारा स्वयं के खर्च पर 01 राज्य स्तरीय समाचार पत्र में प्रकाशित करवाई गई। जिस पर निर्धारित अवधि में / पश्चात कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई। कनिष्ठ अभियन्ता नगर पालिका श्रीमाधोपुर द्वारा दिनांक 30.12.2022 की मौका रिपोर्ट अनुसार आवेदित भूखण्ड प्रतिबन्धित क्षेत्र में नहीं है। उक्त आवेदित भूखण्ड मास्टर प्लान-2031 में आवासीय आरक्षित है। भूमि शाखा प्रभारी एवं वरिष्ठ लिपिक नगर पालिका श्रीमाधोपुर की रिपोर्ट अनुसार आवेदक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के अनुसार आवेदक का आवेदित भूखण्ड पर स्वामित्व सिद्ध हो रहा है, आवेदित भूमि राजस्व रिकार्ड के अनुसार खसरा नं. 557 गैरमुम्किन आवादी में दर्ज है, आवेदित भूमि अकृषि भूमि है एवं आवेदक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों एवं सीटी सर्वे रिकार्ड अनुसार आवेदक का आवेदित भूखण्ड पर स्वामित्व एवं कब्जा भी सिद्ध हो रहा है। इस प्रकार आवेदक को आवेदित भूखण्ड का राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 69 (क) नियमन के अन्तर्गत आवासीय उपयोग पट्टा क्षेत्रफल 1088.88 वर्गमीटर का दिये जाने योग्य है। इसके अतिरिक्त अध्यक्ष महोदय, नगर पालिका श्रीमाधोपुर द्वारा अपनी राय देते हुए उक्त समिति को अवगत करवाया गया कि नगर पालिका श्रीमाधोपुर द्वारा जितनी भूमि का पट्टा दिया जा रहा है, उसके अलावा आवेदक का आवेदित भूमि से लगता हुआ अतिक्रमण है तो उसे हटाया जावे अथवा इस संबंध में आवेदक से शपथ पत्र लिया जावे कि आवेदित भूमि से लगता हुआ आवेदक द्वारा किया गया किसी भी प्रकार का अतिक्रमण आवेदक के स्वयं के खर्च पर हटा लिया जावेगा एवं आवेदक का सर्वे रिकार्ड से अगर सम्पूर्ण मिलान होता है तो ही पट्टा जारी किया जावे।

अतः बाद विचार विमर्श एम्पावर्ड समिति के उपस्थित सदस्यों द्वारा आवेदक सेठ मोतीलाल मानपुरिया कैमिली ट्रस्ट जरिये श्री ज्ञानचन्द मानपुरिया पुत्र श्री साधुराम मानपुरिया द्वारा नियमानुसार शुल्क जमा लिया जाकर आवेदित भूखण्ड का राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 69 (क) नियमन के अन्तर्गत आवासीय उपयोग पट्टा क्षेत्रफल 1088.88 वर्गमीटर जारी किये जाने का निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया।

3. श्री ओमप्रकाश सैनी पुत्र श्री बदीप्रसाद सैनी निवासी गुलाबी मार्केट, शाहपुरा जयपुर द्वारा खसरा नं. 400,448 कुल खसरे 02 रकबा 0.8800 हैक्टर राजस्व ग्राम नांगलभीम तहसील श्रीमाधोपुर में कृषि भूमि के गैर कृषि प्रयोजनार्थ "आदर्श नगर आवासीय योजना" योजना के ले-आउट प्लान अनुमोदन पर विचार/निर्णय :- अध्यक्ष महोदय की आज्ञा से सदस्य सचिव एवं अधिशासी अधिकारी द्वारा अवगत करवाया गया कि आवेदक श्री ओमप्रकाश सैनी पुत्र श्री बदीप्रसाद सैनी निवासी गुलाबी मार्केट, शाहपुरा जयपुर द्वारा खसरा नं. 400,448 कुल खसरे 02 रकबा 0.8800 हैक्टर राजस्व ग्राम नांगलभीम तहसील श्रीमाधोपुर में कृषि भूमि के गैर कृषि प्रयोजनार्थ "आदर्श नगर आवासीय योजना" योजना के ले-आउट प्लान अनुमोदन हेतु आवेदन निर्धारित प्रपत्र में दिनांक 23.12.2022 को प्रस्तुत किया गया। जिस पर नियमानुसार 07 दिवस में आपत्ति आमंत्रण लोक सूचना 01 राज्य स्तरीय दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित की गई। जिस पर निर्धारित अवधि में / पश्चात कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई। नगर पालिका श्रीमाधोपुर के




पत्रांक 4925 दिनांक 26.12.2022 के द्वारा श्रीमान तहसीलदार महोदय, श्रीमाधोपुर को आवेदित भूमि के संबंध में प्रारूप (6) में सहमति अथवा आक्षेप हेतु लिखा गया। जिसके संबंध में श्रीमान तहसीलदार महोदय, श्रीमाधोपुर के पत्रांक 08 दिनांक 02.01.2023 के द्वारा कृषि भूमि के अकृषि भूमि प्रयोजनार्थ उपयोग किये जाने हेतु प्रारूप (6) में सहमति रिपोर्ट अनुसार आवेदित भूमि किसी निर्बंधित प्रवर्ग में नहीं है एवं किसी न्यायालय का कोई स्थगन आदेश आवेदित भूमि पर नहीं है। जिसके उपरान्त नगर पालिका श्रीमाधोपुर के पत्रांक 6019-22 दिनांक 04.01.222023 के द्वारा प्रारूप-11 में उपरोक्त आवेदित भूमि के कृषि भूमि से गैर कृषिक प्रयोजनार्थ उपयोग हेतु 90 (क) के आदेश जारी किये गये। उपरोक्त 90-(क) आदेश की पालना में श्रीमान तहसीलदार महोदय, द्वारा उपरोक्त आवेदित भूमि का नामान्तरण राजस्व रिकार्ड में नगर पालिका के नाम दर्ज कर दिया गया। जिसके उपरान्त नगर पालिका श्रीमाधोपुर के पत्रांक 6023 दिनांक 04.01.2023 के द्वारा श्रीमान उप/जिला नगर नियोजक, नगर नियोजन विभाग, सीकर को उपरोक्त आवेदित भूमि के कृषि भूमि के गैर कृषिक प्रयोजनार्थ ले-आउट प्लान अनुमोदन एवं तकनिकी राय हेतु लिखा गया। जिसके संबंध में श्रीमान जिला नगर नियोजक, नगर नियोजन विभाग, सीकर के पत्रांक टीपीएसके.1600 / श्रीमाधोपुर / 2022 / 1462 दिनांक 09.01.2023 द्वारा पत्र में वर्णित शर्तों के अध्याधीन कृषि भूमि से अकृषि प्रयोजनार्थ "आदर्श नगर आवासीय योजना" के योजना के ले-आउट प्लान अनुमोदन हेतु स्थानीय स्तरीय ले-आउट प्लान अनुमोदन समिति के समक्ष अनुमोदन किये जाने के संबंध में तकनिकी राय प्रदान की गई। जिसकी पालना में आवेदक द्वारा उपरोक्त पत्र में वर्णित समर्पित की जाने वाली भूमि के संबंध में निःशुल्क समर्पणनामा, योजना के आन्तरिक विकास होने तक 12.5 प्रतिशत पट्टे नगर पालिका में रहन रखे हेतु शपथ पत्र एवं उपरोक्त पत्र में वर्णित शर्तों की पालना हेतु शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया। इसके अतिरिक्त अध्यक्ष महोदय, नगर पालिका श्रीमाधोपुर द्वारा उक्त समिति को अवगत करवाया गया कि उक्त ले-आउट के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जनाहित याचिका संख्या 1554 / 2004 (गुलाब कोठारी बनाम राज्य सरकार) के संबंध में दिये गये निर्देश दिनांक 12.01.2017, 08.08.2017, 14.10.2021, 15.12.2018 एवं राज्य सरकार द्वारा इस सन्दर्भ में समय-समय पर जारी अन्य आदेशों की पालना सुनिश्चित की जानी होगी।

अतः श्रीमान जिला नगर नियोजक, नगर नियोजन विभाग सीकर राजस्थान द्वारा दी गई तकनिकी राय एवं नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक प.17 (1)नविवि/अभियान/2021 दिनांक 20.09.2021 के बिन्दू संख्या 2 (i) में दिये गये आदेशों की पालना में स्थानीय एम्पावर्ड समिति के उपस्थित सदस्यों द्वारा बाद विचार विमर्श आवेदक श्री ओमप्रकाश सैनी पुत्र श्री वदीप्रसाद सैनी निवासी गुलाबी मार्केट, शाहपुरा जयपुर के खसरा नं. 400,448 कुल खसरे 02 रकबा 0.8800 हैक्टर राजस्व

ग्राम नांगलभीम तहसील श्रीमाधोपुर में कृषि भूमि के गैर कृषि प्रयोजनार्थ "आदर्श नगर आवासीय योजना" योजना के ले-आउट प्लान अनुमोदन किये जाने हेतु निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया।

4. प्रशासन शहरो के संग अभियान-2021 की तैयारियों एवं प्रगति की समीक्षा पर विचार :- उक्त समिति के अध्यक्ष एवं सदस्य साचिव अधिशाषी अधिकारी द्वारा अवगत करवाया गया कि प्रशासन शहरो के संग अभियान-2021 के प्रचार-प्रसार हेतु शहर के प्रमुख स्थानो पर प्रशासन शहरो के संग अभियान-2021 से सम्बन्धित होर्डिंग लगवाते हुए एवं वार्डवार्डज टीम गठित कर घर-घर पम्पलेट बटवाये जा रहे है। शहर के मुख्य समाचार पत्रो के माध्यम से 02 अक्टुबर 2021 से प्रारम्भ होने वाले प्रशासन शहरो के संग अभियान के दौरान वार्डवार्डज आयोजित किये जाने वाले कैम्पो की सूची का प्रकाशन करवाया गया है, ताकि आमजन को वार्डवार्डज आयोजित किये जाने वाले कैम्पो की सूचना से अवगत हो सके। वर्तमान में नगर पालिका श्रीमाधोपुर में विभिन्न प्रकार के पट्टो, नामान्तरण, निर्माण स्वीकृति, उप-विभाजन, पुर्नगठन, ले-आउट प्लान अनुमोदन एवं भू-उपयोग परिवर्तन आवेदन के लगभग 1388 पत्रावली प्राप्त हो चुकी है। जिन पर त्वरित गति से कार्यवाही करते हुए पालिका द्वारा 1247 पट्टे जारी किये जा चुके है तथा शेष प्रकरणो को निस्तारण किये जाने हेतु कार्यवाही प्रारम्भ है।


अतः उक्त प्रकरण में बाद विचार विमर्श एम्पावर्ड कमेटी के उपस्थित सदस्यो द्वारा प्रशासन शहरो के संग अभियान-2021 के दौरान आमजन को अधिक से अधिक प्रचार-प्रसार के माध्यम से जागरूक कर अभियान को सफल बनाते हुए अधिक से अधिक लोगो से पट्टो के लिए आवेदन करवाकर लाभान्वित किये जाने का निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया।



(हरिनारायण)


अध्यक्ष
नगरपालिका श्रीमाधोपुर
नगर पालिका श्रीमाधोपुर


(रजत जैन)


अधिशाषी अधिकारी
नगरपालिका श्रीमाधोपुर


(रक्षपाल स्वामी)
विधि सलाहकार
नगर पालिका श्रीमाधोपुर


(लोकेश निशानवली)
कनिष्ठ अभियन्ता
कनिष्ठ अभियन्ता
नगर पालिका श्रीमाधोपुर
नगरपालिका, श्रीमाधोपुर


(मो. अजहर जाटू)

उप / जि.सो. सहायसि योदूक्रे
नगरपालिका श्रीमाधोपुर
नगर नियोजन विभाग, सीकर


(निश्चल बनर्जी)
लेखा प्रभारी
नगर पालिका श्रीमाधोपुर